राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 208 / 2022

सोनू प्रजापत **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
4. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, रेंज भरतपुर, जिला भरतपुर (राज.)।
5. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), जिला सवाई माधोपुर (राज.)।
6. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रांरभिक), जिला सवाई माधोपुर (राज.)।
7. पी.ई.ई.ओ., राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बगडोली, तहसील बोनली, जिला सवाई माधोपुर (राज.)।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 24.01.2022
आदेश की दिनांक : 22.03.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री आर.के.गौतम, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 20.01.2022 (अनुलग्नक–1) को अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावे कि वह अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान से कार्यमुक्त ना करे और न ही उक्त आदेश की पालना में कोई आदेश जारी करें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति वरिष्ठ अध्यापक (संस्कृत) के पद पर वर्ष 2018 की सीधी भर्ती द्वारा हुई थी और उसे संस्कृत विषय के लिए दिनांक 21.08.2020 को आदेश दिनांक 01.09.2020 के द्वारा राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, बागडोली, सवाई माधोपुर पदस्थापित किया गया। प्रत्यर्थी संख्या 4 के द्वारा आदेश दिनांक 20.01.2022 जारी किया गया, जिसके द्वारा

अधिशेष कार्मिकों के पदस्थापन के संबंध में जानकारी दी गई और अधिशेष कार्मिकों की दिनांक 20.01.2022 को सूची जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 16 पर अंकित किया गया जबकि अपीलार्थी का परिवीक्षा काल पूर्ण नहीं हुआ, फिर भी उक्त सूची में अपीलार्थी का नाम अधिशेष मानते हुए अंकित कर दिया गया। उनका कथन है कि स्टाफिंग पैटर्न का पोर्टल पर पुनर्निधारण मई, जून एवं जुलाई माह में किया जाता है तो पूर्व सत्र के अंतिम नामाकंन को आधार रखा जाएगा। जून या जुलाई से भिन्न अन्य माह में स्टाफिंग पैटर्न का पोर्टल पर पुनर्निधारण होता है तो पूर्व माह की अंतिम तिथि के नामांकन को आधार रखा जाएगा। चूंकि अपीलार्थी अभी परिवीक्षा काल पर है। साथ ही स्टाफिंग पैटर्न दिनांक 28.05.2019 के शैक्षणिक स्टाफ के पदों का विद्यालय वार आवंटन एवं समानीकरण एवं पदस्थापन के संबंध में दिशा–निर्देशों के अनुरूप निर्धारित किया जाना चाहिए था और इसके अनुसार यह पुनः निर्धारण पूर्व सत्र के अंतिम नामाकंन को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। उक्त विद्यालय में 37 विद्यार्थी संस्कृत विषय के लिए नामांकित हैं। अपीलार्थी का पद उसी प्रकार से निरंतर रखा जाना चाहिए। इस प्रकार गलत रूप से स्टाफिंग पैटर्न पुनः निर्धारित कर उसे अधिशेष कर अन्यत्र पदस्थापित किया जा रहा है, जो नियम विरूद्ध व अवैद्य है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 20.01.2022 (अनुलग्नक–1) को अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावे कि वह अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान से कार्यमुक्त ना करे और न ही उक्त आदेश की पालना में कोई आदेश जारी करें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील में लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी के संबंध में पारित किया गया स्थानान्तरण आदेश प्रशासनिक अत्यावश्यकता में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है। जिस विद्यालय में अपीलार्थी पदस्थापित है उसमें वरिष्ठ अध्यापक का पद उर्दू विषय का किया गया है। उक्त विद्यालय में वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत का पद समाप्त हो जाने से अपीलार्थी अधिशेष घोषित किया गया है। उक्त विद्यालय में 37 विद्यार्थी कक्षा 6 से 8 में थे, जिनमें 34 विद्यार्थी संस्कृत विषय के और 3 विद्यार्थी उर्दू विषय के थे। इस प्रकार राज्य सरकार के निर्देशानुसार वरिष्ठ अध्यापक का पद उर्दू विषय का किया गया है और संस्कृत विषय का पद समाप्त कर दिया गया है। पद समाप्त होने से अपीलार्थी

को अधिशेष मानते हुए स्थानान्तरित किया गया है, जो नियमानुसार सही है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति वरिष्ठ अध्यापक (संस्कृत) के पद पर हुई थी और उसे राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, बागडोली, बोंली, जिला सवाई माधोपुर पदस्थापित किया गया। जहां तक अपीलार्थी को अधिशेष मानते हुए स्थानान्तरित/पदस्थापन किए जाने का प्रश्न है, हमारे विनम्र मत में अपीलार्थी जिस विद्यालय में पदस्थापित है, उस विद्यालय में कुल 37 विद्यार्थी के नामांकन हैं, जिसमें 34 विद्यार्थी संस्कृत विषय के हैं तथा 3 विद्यार्थी उर्दू विषय के हैं। राज्य सरकार द्वारा जनहित/छात्रहित को ध्यान में रखते हुए उक्त विद्यालय में वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत विषय का पद समाप्त कर वरिष्ठ अध्यापक उर्दू विषय का पद सृजित किया गया है, जिसमें अधिकरण द्वारा हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अपीलार्थी का अधिशेष मानते हुए स्थानान्तरित/पदस्थापन प्रत्यर्थी विभाग द्वारा किया जाना सही प्रतीत होता है। चूंकि अपीलार्थी जिस विद्यालय में कार्यरत है, उस विद्यालय में संस्कृत विषय का कोई पद रिक्त नहीं है। इस प्रकार सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."*

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य